मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 10 2.2012

आदेश

कमांक 1767 /22/वि–1/आडिट/12–पंचायत राज संस्थाओं में वित्तीय प्रबंधन,लेखांकन प्रणाली सुदृढ़ किये जाने तथा समवर्ती संपरीक्षा व्यवस्था लागू किये जाने की कार्यवाही विभाग में प्रचलित है। इस प्रकिया के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन व्यवस्था का कियान्वयन "ई गवर्नेस" योजना के अधीन प्रिया साफ्ट वेयर के माध्यम से किया जाना है। "ई गवर्नेस" योजना का कियान्वयन विभाग की संस्था एम.पी.स्टेप्स द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एम.पी.स्टेप्स को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु नामांकित किया जाता है। लेखाकंन प्रणाली तथा समवर्ती आडिट की नवीन व्यवस्था का प्रभावी कियान्वयन श्री एच.रहमान,मुख्य महाप्रबंधक(वित्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में विभाग के आदेश कमांक 699 दिनांक 17.1.2012 द्वारा गठित पॉच सदस्यीय समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। श्री रहमान एम.पी.स्टेप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में उक्त कार्य संपादित करेगें।

2.. योजना के प्रभावी कियान्वयन के प्रयोजन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सिस्टम एनालिस्ट श्री ओबेज अहमद,तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवायें आवश्यकतानुसार एम.पी.स्टेप्स को देगें। प्रस्तावित नवीन व्यवस्था का समग्र कियान्वयन आयुक्त,पंचायतराज के पर्यवेक्षण में श्री टी.गणेशन,उपसंचालक,पंचायत एवं प्रभारी अधिकारी एम.पी.स्टेप्स द्वारा किया जायेगा।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(हस्ताक्षर) 9/2/12

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(मुहर) 10/2/12

पृ0कं0 1768 /22/वि–1/लेजो/10, भोपाल,दिनांक ~~जून 2011~~ 10/2/2012

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं पदेन सदस्य सचिव,एम. पी.स्टेप्स,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त,पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर विकास आयुक्त,विकासआयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. श्री नीरज मंडलोई,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री एच.रहमान,मुख्य महाप्रबंधक(वित्त)ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त मनरेगा
SA
आयुक्त
पंजी. क्र. 465
दिनांक 13.2.2012

979/PA 13/02/12

6. श्री मनोज श्रीवास्तव संयुक्त आयुक्त(वित्त) विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

7. श्री राजीव सक्सैना,संयुक्त आयुक्त(वित्त) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8. श्री घनश्याम सिंह,संयुक्त संचालक,(वित्त)पंचायत राज की ओर सूचनार्थ।

9. श्री जी.पी.आर्य,संयुक्त संचालक,(वित्त) की ओर सूचनार्थ।

10 श्री ओबेज अहमद,सिस्टम एनालिस्ट,म.गां.रा.रोजगार गांरटी परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10. श्री टी.गणेशन,प्रभारी अधिकारी,एम.पी.स्टेप्स,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों के कियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर आदेशों का पालन एवं कियान्वयन सुनिश्चित करें।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 28 / 03 / 2012

आदेश

— 0—

क्र0 / 3348 / एनआरईजीएस–म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र0 91 / e-PRI/PriaSoft/2011-12/ दिनांक 19.03.2012 के परिपालन में प्रिया साफ्टवेयर पर वित्त वर्ष 2011–12 की समस्त प्रविष्टियों की कार्यवाही हेतु सिस्टम एनालिस्ट परिषद मुख्यालय तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करें। सिस्टम एनालिस्ट इस संबंध में संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा को निरंतर रिर्पोट करेगें एवं उनके तथा अन्तिमतः आयुक्त मनरेगा के निर्देशन में कार्य करेंगें।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय –समय पर समीक्षा की जायेगी।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
मुख्यालय, भोपाल

क्रमांक / 3349 / NREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 2012 भोपाल, दिनांक 28 03 / 12

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की ओर उनके पत्र क्र0 91 / e-PRI/PriaSoft/2011-12/ प्रिया सॉफ्टवेयर 2011–12 भोपाल दिनांक 19.03.2012 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर ,/जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त जिलों की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है। कि तत्काल म.प्र. शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की ओर उनके पत्र क्र0 91/ e-PRI/PriaSoft/2011-12/ प्रिया सॉफ्टवेयर 2011–12 भोपाल दिनांक 19.03.2012 के परिपालन में मनरेगा संबंधित प्रविष्टिया प्रिया सॉफ्वेयर में अनिवार्य रूप से करवान सुनिश्चित करें। संबंधित कलेक्टर उनके अधीनस्थ जनपद पंचायतों के कार्य को भी तत्काल करवाना सुनिश्चित करें।
3. श्री एच रहमान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्टेप्स) ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक ९१ e-PRI/PriaSoft/2011-12 भोपाल, दिनांक १९ /03/2012

प्रति,

(1) कलेक्टर, (समस्त)
मध्यप्रदेश

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (समस्त)
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (समस्त)
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषयः-पंचायत राज संस्थाओ का समस्त लेखा, प्रिया साफ्ट के माध्यम से कम्प्यूटर पर संधारित करने के संबंध में।

-0-

भारत शासन, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायत राज संस्थाओ के लेखे कम्प्यूटर के माध्यम से ऑन लाईन तैयार करने हेतु प्रिया साफ्ट वेयर विकसित कर कियाशील किया गया है। इस साफ्ट वेयर के माध्यम से जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतो की लेखांकन प्रणाली संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। साफ्ट वेयर में भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओ एवं स्थानीय स्तर पर संचालित की जा रही योजनाओं का मास्टर डेटा यथा वित्तीय वर्ष, लेखा शीर्ष, स्कीम कोड, कोषालय, बैंक ब्रांच एवं एकाउन्ट नं., पोस्ट ऑफिस,योजना का ओपनिंग बैलेंस फीड कराया जाना आवश्यक है। केन्द्र प्रवर्तित/राज्य की समस्त योजनाओ के डेटा यथा लेखा शीर्ष, स्कीम कोड इत्यादि पूर्व से ही फीड है। स्थानीय स्तर पर संचालित की जा रही योजनाओं के उक्त मास्टर डेटा जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर फीड किये जाने है। इस साफ्टवेयर का उपयोग लागिन आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(2) प्रिया साफ्ट वेयर लेखांकन प्रणाली मे विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को कम्प्यूटर पर फीड करने के लिये रिसीट वाऊचर की एन्ट्री मदो मे किये गये व्ययों की एन्ट्री, पेमेंट वाऊचर के माध्यम से कम्प्यूटर पर की जाना होती है। इन दो प्रविष्टियों के आधार पर पंचायत राज संस्थाओ के समस्त लेखे यथा-कैश बुक, लेजर, आय-व्यय पत्रक, दैनिक, मासिक एवं वार्षिक लेखाबंदी, आय-व्यय सावधिक उद्धरण, बैंक समाधान पत्रक, स्टाक रजिस्टर इत्यादि प्रिया साफ्ट सिस्टम से जनरेट कर संधारित किये जा सकते है। मुख्यालय स्तर पर उक्त साफ्टवेयर की कराई गई पायलेट टेस्टिंग में उक्त सभी अभिलेख तैयार किये जा सके। इस परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि पंचायत राज संस्थाओं के

समस्त लेखे मुख्यतः ग्राम पंचायतों के(प्रथम चरण में) दिनांक 1.4.2012 से प्रिया साफ्टवेयर के माध्यम से ही तैयार किये जायेगें। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के समस्त पेमेंट वाऊचर एवं समस्त रिसीट वाऊचर कम्प्यूटर में फीड कराये जाये, जिससे दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में प्रारंभिक अवशेष के रूप में, समस्त योजनाओं एवं मदों का दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में अंतिम अवशेष प्राप्त हो सकें। अतः समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने अधीनस्थ जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में इस कार्यवाही का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर अपेक्षित प्रविष्टियाँ दिनांक 31.03.2012 के पूर्व सुनिश्चित करें।

(3) प्रिया साफ्टवेयर के संचालन के संबंध में पंचायत राज संचालनालय के पत्र e-pRI /PriaSoft /2010-11/1749 भोपाल दिनांक 17 /02/11 द्वारा आवश्यक मार्गदर्शिका पूर्व में ही जारी की चुकी है तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों के लेखे एवं कम्प्यूटर से सम्बद्ध कर्मचारियों का आवश्यक प्रशिक्षण भी संपादित कराया गया है। इस मार्गदर्शिका के साथ प्रिया साफ्टवेयर प्रणाली में उपयोग होने वाली विभिन्न स्कीन शाट की छायाप्रतियाँ एवं उनमें एन्ट्री किये जाने के संकेत भी तैयार किये जाकर संलग्न हैं जिसके आधार पर पंचायतों के समस्त वाऊचर की डेटा एन्ट्री करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी।

(4) उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर समवर्ती आडिट की व्यवस्था भी 1.4.2012 से लागू किये जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में प्रत्येक 6-7 पंचायतों पर एक आडिटर की नियुक्ति की जायेगी जो ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये समस्त व्ययों एवं राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण करेगा जिससे अंतिम किये जाने के पूर्व समस्त संव्यवहारों का वित्तीय परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस आडिट व्यवस्था के लिये भी प्रिया साफ्ट लेखांकन प्रणाली के माध्यम से ही समस्त संबंधित अभिलेख जनरेट किये जायेगें। ऐसी ग्राम पंचायतों में,जहाँ पर ब्राड बेंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है वहाँ संबंधित आडिटर आडिट के पश्चात समस्त लेखे नियमानुसार होने संबंधी टीप भी प्रिया साफ्टवेयर में दर्ज कर सकेगें। अतः इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिये भी प्रिया साफ्ट लेखांकन प्रणाली का नियत समय अवधि दिनांक 31.03.2012 के पूर्व संचालन किया जाना अनिवार्य है।

(5) उक्त व्यवस्था के प्रथम चरण में प्रिया साफ्ट प्रणाली में उपलब्ध सुविधा अनुसार लेखा संबंधी समस्त फीडिंग की जायेगी तथा सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट कर लेखा अभिलेखों के रूप में संधारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन संबंधी अन्य कार्य यथा-बजट की तैयारी,रसीद बुकों का संधारण,संपरीक्षा आडिट की प्रविष्टि, भाटक, रेंट तथा करों के रजिस्टर का संधारण इत्यादि भी पृथक से विकसित किया जा रहा है जो द्वितीय चरण कम्प्यूटर के माध्यम से ही तैयार किये जा सकेगें।

(6) साफ्टवेयर लेखांकन प्रणाली के माध्यम से समस्त आय एवं व्यय के वाऊचर फीड करने एवं विभिन्न प्रकार के लेखा संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सिस्टम में अपेक्षित डाटा ही फीड किया जाये । राज्य स्तर से भरे जाने वाले मास्टर रिकार्ड का इन्द्राज सिस्टम में कर दिया गया है । जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर से भरे जाने वाला मास्टर डाटा स्थानीय स्तर पर

फीड कराया जाना है। यह कार्य अत्यन्त सीमित स्वरूप का है जिसमें अधिकतम एक अथवा दो दिवस का समय ही अपेक्षित है अतः इस कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाये। प्रदेश की 23010 पंचायतों में से अभी मात्र 2636 पंचायतों में ही ब्राड बेंड कनेक्टिविटी उपलब्ध है अतः अधिकांश पंचायतों के रिकार्ड जनपद पंचायत स्तर से सिस्टम में ऑन लाईन कराया जाना होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रिकार्ड नियमित रूप से ग्राम पचांयतों द्वारा जनपद पंचायत से नरेगा की बेवसाइट पर लोड किये जा रहे हैं इसी प्रकार एवं उसी समय ग्राम पंचायत द्वारा अपने समस्त आय एवं व्यय के वाऊचर की फीडिंग भी प्रिया साफ्ट लेखांकन प्रणाली में जनपद पंचायतत स्तर से की जावेगी।

(7) उक्त समस्त प्रकिया को पूर्ण करते हुये ग्राम पंचायतों के वर्ष 2011-12 में किये गये समस्त आय एवं व्यय के वाऊचर की प्रविष्टि प्रिया साफ्ट लेखांकन प्रणाली में दिनोक 31.3.2012 के पूर्व सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत की होगी। इस कार्य के लिये वे व्यक्तिगत रूप से दायित्वपूर्ण माने जायेगें। उनसे यह अपेक्षा है कि वे अपने कार्यालय के कम्प्यूटर आपरेटर,डाटा एन्ट्री आपरेट एवं सहायक लेखा अधिकारी अथवा लेखापाल की संयुक्त टीम बनाकर उनका सतत मार्गदर्शन एवं समन्वय कर कार्य को संपादित करायें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत उक्त कार्ययोजना का गहन अनुश्रवण करेगें तथा अपने अधीनस्थ आने वाली समस्त जनपद पंचायतों में कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा कर आयुक्त,पंचायत राज को एक साप्ताहिक प्रतिवेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करेगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत से यह भी अपेक्षा है कि वे ग्राम पंचायतों के साथ साथ जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के लेखे भी प्रिया साफ्ट लेखांकन प्रणाली में फीड करने के लिये प्रभावी पहल कर प्रस्तावित कार्ययोजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन करेगें। यदि इस कियान्वयन में किसी प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाई परिलक्षित होती है तो आयुक्त,पचांयत राज संचालनालय को अथवा मुझे सीधे अवगत कराया जा सकता है।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

16/3/12

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क 92 /22/वि-1/आडिट/2012 भोपाल,दिनांक 19 /3/12

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त,पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया नरेगा योजना से संबंधित वर्ष

2011-12 समस्त प्रविष्टियाँ प्रिया साफ्टवेयर में कराये जाने के संबंध में अपने स्तर से यथोचित दिशानिर्देश सभी संबंधितों को जारी करायें तथा कार्य का प्रभावी समन्वय करने का कष्ट करें।
उक्त कार्य के लिये परिषद् के सिस्टम एनालिस्ट श्री ओवेस एहमद को एम0पी0 स्टेप्स का कार्य भी विभाग के एक अन्य आदेश द्वारा सौंपा गया है।

3. संचालक,ग्रामीण रोजगार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। बीआरजीएफ योजना से संबंधित प्रविष्टियाँ उक्त साफ्टवेयर में कराये जाने हेतु आवश्यक समन्वय करने का कष्ट करें।
4. संचालक,राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन/मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री एच. रहमान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,एम.पी.स्टेप्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संयुक्त आयुक्त,समग्र स्वच्छता अभियान की ओर सूचनार्थ ।
7. संयुक्त आयुक्त,इंदिरा आवास योजना की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त आयुक्त,डी.आर.डी.ए.प्रशासन योजना की ओर सूचनार्थ।
9. श्री टी.गणेश,उपसंचालक,एम.पी.स्टेप्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त कार्य-योजना के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में एम.पी.स्टेप्स के सलाहकार श्री आदर्श नायक के साथ प्रभावी समन्वय कर समस्त अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई डाटा एन्ट्री की संख्या से नियमित रूप से अवगत करायें।

12/3/10

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

11283
क्रमाक /वि–8.समन्वय /2010 भोपाल दिनांक 19 अगस्त, 2010

आदेश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग मे सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी तथा सिस्टम इन्टीग्रेशन करने की विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री उवैस अहमद सिस्टम एनालिस्ट एवं स्टेट नोडल अधिकारी (एम.आई.एस.) एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्तमान कार्यो के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागो में तकनीकी विशेषज्ञ (सिस्टमस)/ स्टेट नोडल अधिकारी (सिस्टमस) के रूप मे सेवाये देगें, जिनके अनुरूप कार्य निम्नलिखित होगें :–

1. विभाग में सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी को बेहतर उपयोग कर प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करने में शासन को सलाह देना।
2. विभाग मे डाटा कनाक्टेविटि स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही
3. सिस्टम इंटिग्रेशन हेतु सलाह देना
4. ई. पीआरई (ई–पचायत) का प्रभावी कियान्वयन करने मे सलाह देना तथा तकनीकी सहयोग करना
5. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिये पंचायत स्तर पर सनेकित MIS का विकास
6. विभाग की विभिन्न संस्थओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत प्रोग्रामर, वरिष्ठ डाटा मैनेजर, प्रबंधक/सहायक प्रबंधक आई.टी एवं अन्य एम.आई.एस अमला को उनके कार्यो में मार्गदर्शन एवं सलाह देना ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
सामाजिक न्याय

11284
पृ.क. /विक.स–8. समन्वय /2010 भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2010
प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग
3. आयुक्त, पचायतराज मध्यप्रदेश भोपाल
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश भोपाल
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल